

बिहार सरकार  
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग  
(भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय)

संख्या :- 03/02-राज्य यो0-भू0अ0नि0(वि0सर्वे0)मुंगेर-45/2022..... पटना, दिनांक 15/11/2023

आदेश

सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी(मु0) मुंगेर के पत्रांक 356 दिनांक 03.05.2023 द्वारा मो0 तनवीर अहमद, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN03479) के विरुद्ध लम्बी अवधि से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने का प्रतिवेदन देते हुए आवश्यक कार्रवाई की अनुशंसा की गयी है।

प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय के पत्रांक 4358 दिनांक 23.05.2023 द्वारा मो0 अहमद को 03 दिनों के अन्दर स्पष्टीकरण समर्पित करने हेतु निदेशित किया गया है। स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होने की स्थिति पुनः निदेशालय पत्रांक 5301 दिनांक 27.06.2023 द्वारा अंतिम अवसर देते हुए इस शर्त के साथ स्पष्टीकरण की मांग की गयी कि निर्धारित अवधि तक स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होने की स्थिति में इनका संविदा नियोजन समाप्त कर दिया जाएगा। इनके द्वारा इस कार्यालय को यह आवेदन समर्पित किया गया है कि ये क्षय रोग से पीड़ित हैं एवं नो वर्क नो पे के आधार पर स्पष्टीकरण से मुक्त करने का अनुरोध किया गया है, परन्तु इस संबंध में इनके द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

पुनः निदेशालय पत्रांक 6699 दिनांक 28.08.2023 द्वारा मो0 अहमद स्पष्टीकरण की पुष्टि हेतु साक्ष्य यथा चिकित्सीय प्रमाण पत्र आदि 03 दिनों के अन्दर समर्पित करने का निदेश इस शर्त के साथ दिया गया है कि निर्धारित अवधि तक प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं होने की स्थिति में कार्यालय को गुमराह करने के आलोक में इनका संविदा नियोजन समाप्त कर दिया जाएगा। इतने स्पष्ट निदेश के बावजूद भी इनके द्वारा 03 माह की लम्बी अवधि के बाद भी साक्ष्य समर्पित नहीं किया गया है।

इस संबंध में निदेशालय पत्रांक 5300 दिनांक 27.06.2023, स्मार पत्रांक 6698 दिनांक 28.08.2023 एवं पत्रांक 8517 दिनांक 13.10.2023 द्वारा अपर समाहर्ता-सह-बंदोबस्त पदाधिकारी से श्री गौड़ के संबंध में मंतव्य सहित अनुशंसा की मांग की गयी है। बंदोबस्त पदाधिकारी के पत्रांक 865 दिनांक 31.10.2023 द्वारा इनके विरुद्ध लम्बी अवधि से अनुपस्थित रहने के कारण सेवा समाप्त करने की अनुशंसा की गयी है।

बंदोबस्त पदाधिकारी से प्राप्त मंतव्य एवं अनुशंसा तथा संचिका में रक्षित अभिलेखों के समीक्षोपरांत स्पष्ट होता है कि मो0 अहमद जुलाई, 2022 से लगातार अनुपस्थित हैं एवं अनुपस्थिति के संबंध में बीमारी का बहाना बना रहे हैं। यदि ये बीमार हैं, तो इस संबंध में इनके द्वारा अपने पदस्थापित कार्यालय को अवगत कराया जाना चाहिए था। साथ ही मुख्यालय स्तर से चिकित्सीय प्रमाण पत्र मांगे जाने पर भी इनके द्वारा समर्पित नहीं किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि ये मात्र सेवा बने रहने के लिए कार्यालय को गुमराह कर रहे हैं।

विशेष सर्वेक्षण कार्य एक समयबद्ध कार्यक्रम है, जिसे निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करने हेतु विशेष सर्वेक्षण कर्मियों का नियोजन किया गया है। मो0 अहमद के अनाधिकृत अनुपस्थित रहने से इनको आवंटित मौजा का कार्य प्रभावित हुआ है, जिससे अन्य प्रक्रम के कार्य में विलंब हुआ है। ऐसे कर्मियों के रहते निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता है एवं इसका कुप्रभाव अन्य कर्मियों पर भी पड़ सकता है, इसके दृष्टिगत इनका संविदा नियोजन समाप्त किया जाना उचित होगा।

अतः "बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली, 2019 के नियम 8(4)" के आलोक में मो0 तनवीर अहमद, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN03479) का संविदा समाप्त किया जाता है।

(जय सिंह)  
निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक :- 03/02-राज्य यो0-भू0अ0नि0(वि0सर्वे0)मुंगेर-45/2022.....<sup>9219</sup> पटना, दिनांक 15/12/2023

प्रतिलिपि :- मो0 तनवीर अहमद, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN03479), बंदोबस्त कार्यालय, मुंगेर को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक :- 03/02-राज्य यो0-भू0अ0नि0(वि0सर्वे0)मुंगेर-45/2022.....<sup>9219</sup> पटना, दिनांक 15/12/2023

प्रतिलिपि :- बंदोबस्त पदाधिकारी, बंदोबस्त कार्यालय, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक :- 03/02-राज्य यो0-भू0अ0नि0(वि0सर्वे0)मुंगेर-45/2022.....<sup>9219</sup> पटना, दिनांक 15/12/2023

प्रतिलिपि :- श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं इसकी स्कैन कॉपी R2R अन्तर्गत संघारित मो0 अहमद की व्यक्तिगत संचिका में अपलोड करने हेतु प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण